राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 53/2022 जीसीएमएस नम्बर – 2022/65

राजस्व वाद संख्या – 55/2021 (समकेति) जीसीएमएस नम्बर – 2022/60

1. विक्रम पुत्र श्री चन्दगी राम
2. अजीत कुमार पुत्र चन्दगीराम
3. सतीश कुमार पुत्र श्री चन्दगीराम
4. केला देवी पत्नी श्री चन्दगीराम
5. राजेश कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल
6. सुन्दरपाल पुत्र श्री बनवारीलाल
7. विजयपाल पुत्र श्री बनवारीलाल
8. रेशमी देवी पत्नी श्री बनवारीलाल

जाति अहीर निवासी रायपुर अहीरान तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं

.... प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं
2. अमरसिंह पुत्र भोलाराम
3. कृष्णा पुत्री भोलाराम
4. चन्द्रो देवी पत्नी भोलाराम
5. मुकेश पुत्री भोलाराम
6. रामनिवास पुत्र भोलाराम
7. दयानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. राकेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. विक्रम कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. शकुन्तला देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
11. सतीश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
12. कृष्ण कुमार पुत्र श्योधन
13. दीपचन्द पुत्र रामचन्द्र
14. प्रकाशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
15. रघुवीर सिंह पुत्र रामचन्द्र
16. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामचन्द्र
17. शिवप्रसाद पुत्र रामचन्द्र
18. नन्दलाल पुत्र हेतराम
19. मुकेश पुत्री उमराव

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

20. मनभावती पत्नी उमराव
21. महेश कुमार पुत्र उमराव
22. राजेन्द्रसिंह पुत्र उमराव
23. रामानन्द पुत्र ताराचन्द
24. मामचन्द पुत्र हरचन्द
25. सज्जन कुमार पुत्र श्योधन
26. सुभाष पुत्र हेतराम
27. सावित्री पुत्री गुलाब
28. हीरालाल पुत्र मानसिंह

जाति अहीरान निवासीगण रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........अप्रार्थिगण

दावा–नक्शा दुरूस्ती

सेटलमेंट अ.धारा 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांकः– 29–11–2022**

प्रार्थी की और से वाद–पत्र निम्न प्रकार पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी के गत ख. न. 740 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थे जिनके नये ख. न. बन गये। गत ख0 न0 740 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के हाल ख. न. 1084 रकबा 0.36 है. बने है।
2. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि ख. न. 1084 रकबा 0.36है. कुल किता 1 कुल रकबा 0. 36 है. भूमि प्रार्थीगण/वादगीण के कब्जे काश्त में है तथा ख. न. 1085 रकबा 0.31 है. भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण /प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। गत ख. न. 740 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा में वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में हाल ख. न. 1084 रकबा 0.36 है. बना है जिसको पुराना नक्शा ट्रेस में दिखाया गया है। व वर्तमान पैमाइश में वादीगण के कब्जे काश्त में है। वादीगण के खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में ख. न. 1085 रकबा 0.31है0 भूमि प्रतिवादीगण की दर्शाई गई है। वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि हाल ख. न. 1084 रकबा 0.36 है0 जिसका हाल नक्शा में पश्चिमी सीमा को वादीगण के खेत में पूर्वी तरफ अन्दर की तरफ पूर्व में सरका दिया ... प्रतिवादीगण की कृषि भूमि ख. न. 1085 की पूर्वी सीमा को वादीगण के खेत ... में सरका कर दिखाई गई है जो कि हाल नक्शा ट्रेस में वादीगण की भूमि ... अन्दर करके दिखाई गई है जबकि वादीगण के गत ख. न. 740 की पश्चिमी ... नक्शा ट्रेस में वादीगण की हिस्सा की लम्बाई पूर्व से पश्चिम कम दिखाई है जिस कारण वादीगण के खातेदारी खेत का नक्शा छोटा हो गया इस कारण मौके पर वादीगण का रकबा पूरा नहीं हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surdi Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:35 IST
Reason: SelfAttested

पैमाइश विभाग ने वादीगण के गत नक्शा को हाल नक्शा ट्रेस में गलत बना दिया जिससे वादीगण के रकबे को कम दर्शाया है इस कारण वादीगण को भारी हानि व परेशानी हो रही है। वादीगण की हकलतवी हो रही है जबकि राज्य सरकार ने भू–प्रबंधक विभाग को आदेशित किया था कि किसी भी खातेदार के हिस्से के रकबे को कम या ज्यादा नहीं करेगा तथा नक्शे की आकृति गत बन्दोबस्त के अनुसार बनानी थी इसमें कर्मचारी द्वारा निर्देश का सही रूप से पालन नहीं किया जाकर गलत नक्शा बनाने से यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। जिसका नक्शा ट्रेस वादीगण ने पेश किया है जिसमें गलत नक्शे को दुरूस्त कर लाल–स्याही से मार्क कर सही रूप से दखाया गया है जो दावे का भाग रहेगा।

3. यह कि हाल नक्शा ट्रेस को गत नक्शा ट्रेस के साथ लगाकर देखने से भी यही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इसलिए वादीगण को अपने हिस्से की गत खातेदारी ख0 न0 740 रकबा 1 क बीघा 9 बिस्वा के हाल खातेदारी भूमि हाल ख. न. 1084 रकबा 0. 36है0 के नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त करवाना आवश्यक हुआ।

4. यह कि वाद के लिए आधार–विवाद वर्तमान पैमाइश में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त के खेत गत ख. न. 740 के हाल ख0 न. 1084 की पश्चिमी सीमा को वादीगण के खेत में सरका कर वादीगण की भूमि को प्रतिवादीगण की भूमि ख. न. 1085 में मिला दिया जिससे वादीगण का नक्शा छोटा बन गया तथा मौके पर नपती करने से रकबा भी कम हो गया जिसको दुरूस्त करने के लिए राजस्व कर्मचारियों को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा दुरूस्त करने से इनकार कर दिया। इसलिए यह नक्शा दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

5. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम–रायपुर अहीरान तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की सीमा में स्थित है इसलिए यह वाद सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को है।

अतः वादीगण की और से वाद–पत्र पेश कर अर्ज है कि–

(क) दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण की कृषि भूमि गत ख. न. 740 के हाल ख. न. 1084 की सीमाए नक्शा ट्रेस में हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाकर गत नक्शा ट्रेस के अनुसार घोषित किया जाकर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन जारी की गई। अप्रार्थीगण की बावजूद सम्यक के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] 1 तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

रिपोर्ट निम्नानुसार रही है :– [illegible] अहीरान [illegible] वादीगण व अन्य के साथ खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.36 है. [illegible] 0.31 है. के मौके पर नपती

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested

की गई। वर्तमान में नपती करने पर उक्त खसरा नम्बर का मौका नक्शा व नाप नजरी नक्शा प्रदर्श– अ के अनुसार है। वादी अपने खसरा नम्बर 1084 का नक्शा हाल को मुताबिक गत नक्शा व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.36 है. के अनुसार दुरूस्त कराना चाहता है। वादी का गत नक्शा की तूलना में हाल नक्शा पैमाईस वर्ष 1978–79 में छोटा बना दिया है तथा खसरा नम्बर 1085 का नक्शा रकबा 0.31 है. को तुलनात्मक रूप से बडा बना दिया है। वादीगण का मौके पर वर्तमान में है। अतः वादीगण का खसरा नम्बर 1084 का नक्शा (रकबा जमाबंदी अनुसार दुरूस्तीकरण किया जाना उचित होगी।

प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख में मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोबस्त, मिसल ग्राम रायपुर अहीरान, नकल जमाबंदी संवत् 2030–33, नकल जमाबंदी संवत् 2048–51, नकल जमाबंदी संवत् 2064–67, नकल जमाबंदी संवत् 2068–71, नक्शासीट सं.1993, नक्शासीट सन् 1978–79, नकल जमाबंदी संवत् 2075–78, पेश किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की अभिशांषा की गई। न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रायपुर अहीरान स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 740 के हाल खसरा नम्बर 1084 की सीमाए मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 26–04–2021 मय नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ–1 लगायत अ–2) में दर्शाया गया है, उक्त नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ– लगायत अ–2) के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमिम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, बुहाना को तहरीर जारी हो। निर्णय की एक प्रति मुकदमा नम्बर 55 / 2021 में भी रखी जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 29–11–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:35 IST
Reason: SelfAttested